



कार्यालय
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लोक निर्माण विभाग, उत्तराखण्ड देहरादून



Office of the Engineer in Chief, PWD, Dehradun Uttarakhand

E-Mail: hodroadsafety@gmail.com

Phone & Fax: -0135-253154/2531072

पत्रांक :- 875/76याता0(क)-उ0/2022

दिनांक 01/08/2022

सेवा में,

(1) मुख्य अभियन्ता,
क्षेत्रीय कार्यालय, लो0नि0वि0,
अल्मोड़ा/हल्द्वानी/देहरादून/पौड़ी।

(2) मुख्य अभियन्ता
राष्ट्रीय राजमार्ग, लो0नि0वि0,
देहरादून।

विषय :- मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव, महोदय उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में सड़क निर्माण इकाईयों के दायित्व निर्धारण एवं अपेक्षित कार्यों की प्रगति की समीक्षा बैठक दिनांक 12.05.2022 में दिये गये निर्देशों के अनुपालन के सम्बन्ध में।

सन्दर्भ :- इस कार्यालय का पत्रांक-457/76याता0(क)-उ0/2022 दिनांक 17.05.2022

उपरोक्त विषयक मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति के निर्देशों के क्रम में मुख्य सचिव, महोदय उत्तराखण्ड की अध्यक्षता में दिनांक 12.05.2022 को सम्पन्न हुई बैठक का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें। उक्त बैठक का कार्यवृत्त सन्दर्भित पत्र द्वारा आवश्यक कार्यवाही हेतु पूर्व में ही आपको प्रेषित किया जा चुका है। बैठक में मुख्य सचिव, महोदय द्वारा निम्न निर्देश दिये गये हैं :-

1. राज्य सड़क सुरक्षा एवं दुर्घटना न्यूनीकरण हेतु क्षेत्रान्तर्गत पड़ने वाले ब्लैक स्पॉट्स के दीर्घकालीन सुधार कार्य हेतु प्राथमिकता के आधार पर थर्ड पार्टी रोड सेफ्टी ऑडिट कराने के पश्चात् आगणन District Road Safety Committee के माध्यम से प्राप्त कर परिक्षणोपरान्त तत्काल प्रेषित किए जाए।
2. दुर्घटना सम्भावित स्थलों, जिनका चिन्हीकरण District Road Safety Committee द्वारा किया गया है, उन स्थलों पर स्वयं स्थलीय निरीक्षण कर, यथा आवश्यक कराये जाने वाले कार्यों को यातायात की दृष्टि से उच्च प्राथमिकता वाले मार्गों के आगणन District Road Safety Committee के माध्यम से प्राप्त कर परिक्षणोपरान्त तत्काल प्रेषित किए जाए।
3. ब्लैक स्पॉट, दुर्घटना सम्भावित स्थलों, पालाग्रस्त/फिसलयुक्त स्थलों एवं अन्य स्थलों पर क्रैश बैरियर लगाये जाने हेतु चिन्हित स्थलों पर चलने वाले Traffic Volume की दृष्टि से उच्च प्राथमिकता के मार्गों के आगणन District Road Safety Committee के माध्यम से प्राप्त कर परिक्षणोपरान्त तत्काल प्रेषित किए जाए। क्रैश बैरियर लगाये जाने हेतु क्षेत्रीय मुख्य अभियन्ता कार्यालय में विभिन्न खण्डों से प्राप्त पृथक-पृथक समस्त आगणनों को संकलित कर मात्र 01 आगणन स्वीकृति हेतु प्रस्तुत किए जाए।
4. Delhi Integrated Multi Model Transit System (D.I.M.T.S.) द्वारा उत्तराखण्ड राज्य के सम्बन्ध में सड़क सुरक्षा आडिट की प्रस्तुत अन्तरिम आडिट रिपोर्ट में जो तकनीकी कमियां इंगित की गयी है उनका निराकरण कर कृत कार्यवाही की अनुपालन आख्या से इस कार्यालय को अवगत कराना सुनिश्चित करें।

mm

क्रमशः पेज 2 पर

5. राज्य के विभिन्न मार्गों पर IRC मानकों के अनुसार समस्त Lower Hierarchy (SH, MDR, ODR & VR) मार्गों में चिह्नित अवशेष जंक्शनों पर Visual & Physical Traffic Calming Measures के कार्य हेतु उच्च प्राथमिकता के मार्गों के आगणन District Road Safety Committee के माध्यम से प्राप्त कर परिक्षणोपरान्त तत्काल प्रेषित किए जाए।
6. राज्य में लो0नि0वि0 एवं एन0एच0 लो0नि0वि0 के अधीन विभिन्न मोटर मार्गों में High Volume Road को Prioritize करते हुए समस्त मार्गों पर (NH, SH, MDR & ODR) थर्ड पार्टी रोड सेफ्टी ऑडिट (Design, Construction, Pre-Opening, Operation & Maintenance) Stages में पूर्ण करने हेतु तत्काल प्रभाव से वांछित कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
7. Industrial Area/Urban Area के आस-पास निवास करने वाले कार्मिकों/स्थानीय निवासीओं द्वारा आवागमन हेतु साईकिल्स का प्रयोग किया जाता है, यथासम्भव उक्त स्थानों पर Cycle Track के निर्माण हेतु शीघ्र आगणन गठित कर प्रेषित किए जाए।
8. राज्य में सड़क सुरक्षा के दृष्टिगत विभिन्न मार्गों पर स्थित ऐसे हॉर्डिस जिनसे निकट भविष्य में सड़क दुर्घटना होने की आशंका हो, ऐसे हॉर्डिस को सम्बन्धित विभाग एवं स्थानीय प्रशासन के सहयोग से तत्काल प्रभाव से चिह्नित करते हुए उन्हें हटाए जाने हेतु आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
9. चारधाम यात्रा मार्ग पर चिह्नित दुर्घटना सम्भावित स्थल एवं सड़क दुर्घटनाओं में होने वाली क्षति की रोकथाम एवं वाहनों को गहरी खाई में गिरने से बचाने हेतु अतिसंवेदनशील/संवेदनशील स्थलों पर क्रैश बैरियर लगाये जाने का कार्य शीघ्र प्राथमिकता के आधार करना सुनिश्चित करें।
10. राज्य के विभिन्न शहरी क्षेत्रों में मीडियन्स बने हुए हैं, इन मार्गों का सर्वेक्षण परिवहन एवं पुलिस विभाग के साथ संयुक्त रूप से किया जाय, अवैध रूप से खोले गये मीडियनों को चिह्नित कराते हुए बन्द किये जाने की कार्यवाही पूर्ण करवायी जाय, ताकि दुर्घटनाओं की संख्या को न्यून किया जा सकें।
11. मुख्य अभियन्ता, अधीक्षण अभियन्ता एवं खण्डीय कार्यालयों में उपलब्ध कार्मिकों का एक रोड सेफ्टी सेल स्थापित किया जाय, जिसके द्वारा मार्गों पर होने वाले दुर्घटना आदि के अनुश्रवण एवं न्यूनीकरण हेतु नागरिकों से सुझाव आमंत्रित किये जाय, ताकि दिये गये सुझावों के अनुरूप कार्ययोजना को मूर्तरूप दिए जाने के साथ ही दुर्घटनाओं को न्यून किया जा सकें, विभिन्न कार्यालयों में स्थापित रोड सेफ्टी सेल में नामित अधिकारियों की सूचना (अधिकारी का नाम/पदनाम/मोबाइल नं0) इस कार्यालय को प्रेषित की जाए।
12. रोड सेफ्टी से सम्बन्धित विभिन्न आख्याएं/सूचनाएं क्षेत्रीय/वृत्तीय स्तर पर परीक्षण किये बिना ही इस कार्यालय को प्रेषित की जाती हैं, जिसमें त्रुटियाँ होने के कारण उच्च स्तर पर आयोजित बैठकों में प्रायः परेशानियों का सामना करना पड़ता है। अतः वृत्तीय एवं क्षेत्रीय स्तर पर रिपोर्ट का परीक्षण भली-भाँति कर लिया जाय, तत्पश्चात ही आख्याएं/सूचनाएं इस कार्यालय (रोड सेफ्टी सेल) को प्रेषित की जाय।
13. रोड सेफ्टी से सम्बन्धित विभिन्न आख्याएं/सूचनाएं मा0 उच्चतम न्यायालय द्वारा गठित सड़क सुरक्षा समिति/परिवहन आयुक्त, उत्तराखण्ड द्वारा समय-समय पर सूचनाएं माँगी जाती हैं। अतः आपको निर्देशित किया जाता है, कि रोड सेफ्टी से सम्बन्धित विभिन्न आख्याएं/सूचनाएं को बिना विलम्ब किये इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित किया जाए, विलम्ब की दिशा में आप स्वयं जिम्मेदार होंगे।



अतः उपरोक्तानुसार तत्काल कार्यवाही सुनिश्चित कराते हुए समस्त आगणन यथाशीघ्र इस कार्यालय को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

नोटः—राष्ट्रीय राजमार्ग खण्डों के आगणन उचित माध्यम द्वारा सडक परिवहन एवं राजमार्ग मंत्रालय, भारत सरकार को प्रेषित करना सुनिश्चित करें।

(इ० अयाज अहमद)
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लो०नि०वि०, देहरादून

प्रतिलिपि— निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित :-

- 1— अधीक्षण अभियन्ता, सिविल/रा०मा० वृत्त, लो०नि०वि०, अल्मोड़ा/नैनीताल/पिथौरागढ़/ऊधमसिंहनगर उत्तरकाशी/गोपेश्वर/टिहरी/देहरादून/हरिद्वार/पौड़ी/हल्द्वानी को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल आवश्यक कार्यवाही करना सुनिश्चित करें।
- 2— समस्त अधिशासी अभियन्ता, क्षेत्रीय/रा०मा० लो०नि०वि० को इस निर्देश के साथ प्रेषित कि तत्काल आवश्यक कार्यवाही कराना सुनिश्चित करें।
- 3— आई०टी० सैल, कार्यालय प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष, लो०नि०वि०, उत्तराखण्ड, देहरादून का Pwd.uk.gov.in की Road Safety Gallery में Upload करने हेतु।

MAK
प्रमुख अभियन्ता एवं विभागाध्यक्ष,
लो०नि०वि०, देहरादून